रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939
No. 351] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

का. आ. 404(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (iv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अंतर्गत पंजीकृत की गई निम्नलिखित आवास वित्त कंपनियों, जिनकी अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार टीयर-I पूंजी दस करोड़ रुपये या इससे अधिक है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु "वित्तीय संस्थान" के रूप में निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

क्रम सं	आवास कंपनी का नाम
1.	फुललेरटोन इंडिया होम फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड
2.	हिंदुजा हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड
3.	खुश हाउसिंग फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

[फा. सं. 07/10/2016-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018

S.O. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (the said Act), the Central Government hereby specifies the following housing finance companies, registered under sub-section (5) of section 29 A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and with Tier I capital of ten crores rupees and above as per their latest audited balance sheet, as the "financial institution" for the purpose of the said Act, namely :-

Sr.No.	Name of the Housing Finance Company
1.	Fullerton India Home Finance Company Limited.
2.	Hinduja Housing Finance Limited.
3.	Khush Housing Finance Private Limited.

[F. No. 07/10/2016-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

का. आ. 405(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (iv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) 10 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1282(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,-

(क) क्रम सं. 5 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम सं. 9 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9. सुन्दरम बीएनपी परिबास होम फाइनेंस लिमिटेड";

(ग) क्रम सं. 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) क्रम सं. 12 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ङ) क्रम सं. 14 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(च) क्रम सं. 15 और 16 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"15. डीएचएफएल वैश्य हाउंिसग फाइनेंस लिमिटेड,

16. रेलिगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड";

(छ) क्रम सं. 17 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ज) क्रम सं. 18 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"18. एल एंड टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड";

(झ) क्रम सं. 19 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ञ) क्रम सं. 23 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 07/10/2016-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में का आ 1282 (अ), 10 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई भी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018.

S.O. 405(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number S.O. 1282(E), dated the 10th November, 2003, namely:-

In the said notification, -

a) serial number 5 and the entries relating thereto shall be omitted;

b) for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"9. Sundaram BNP Paribas Home Finance Limited";

c) serial number 10 and the entries relating thereto shall be omitted;

d) serial number 12 and the entries relating thereto shall be omitted;

e) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

f) for serial number 15 and 16 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

"15. DHFL Vysya Housing Finance Limited,

16. Religare Housing Development Finance Corporation Limited";

g) serial number 17 and the entries relating thereto shall be omitted;

h) for serial number 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"18. L& T Housing Finance Limited,";

i) serial number 19 and the entries relating thereto shall be omitted;

j) serial number 23 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 07/10/2016-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 1282(E), dated the 10th November, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

का. आ. 406(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के उपखण्ड (iv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) 18 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 3466(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं . 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 07/10/2016-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का. आ. 3466 (अ), 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018.

S.O. 406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Financial Services), number S.O. 3466 (E), dated the 18th December, 2015, namely:-

In the said notification, serial number 10 and the entries relating thereto shall be omitted;

[F. No. 07/10/2016-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 3466 (E), dated the 18th December, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.01.29 18:00:50 +05'30'